अध्याय- 4

विगत कार्य-निष्पादन की समीक्षा

अध्याय – 4

विगत कार्य - निष्पादन की समीक्षा
योजना आयोग द्वारा यथा - मूल्यांकित क्षेत्र-वार कोयले की मांग

4.1. वर्षों से क्षेत्र-वार के साथ-साथ कोयले की समग्र मांग में निरन्तर वृद्धि हुई है। विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र से मांग 10वीं योजना के अन्तिम वर्ष (2006-07) में 339.30 मिलियन टन (मिडलिंग सहित) से पर्याप्त रूप से बढ़कर 2009-10 में 413.07 मिलियन टन हो गई है। वर्ष 2010-11 (ब.अ.) के लिए मांग 488.73 मिलियन टन होने का अनुमान है। वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित मांग 520 मिलियन टन है (एमटीए के अनुसार)। 2006-07 से 2011-12 (अनुमानित) के दौरान क्षेत्र-वार कोयले की कुल मांग निम्नवत है :-

(मिलियन टन में)

	10वीं योजना	**11वीं योजना**						
क्षेत्र	**(2006-07) वास्तविक**	**2007-08 वास्तविक**	**2008-09 वास्तविक**	**2009-10 वास्तविक**	**2010-11 ब.अ.**	**2010-11 सं.अ.**	**2011-12 मूल लक्ष्य**	**2011-12 एमटीए संशोधित**
I) कोकिंग कोयला								
इस्पात / कोक ओवन एवं कोकरीज	17.30	16.99	16.58	15.92	17.92	16.80	23.78	26.02
इस्पात (आयात)	17.88	22.03	21.08	23.47	32.59	23.20	44.72	42.48
उप-जोड़ कोकिंग	**35.17**	**39.02**	**37.66**	**39.39**	**50.51**	**40.00**	**68.50**	**68.50**
II) नान-कोकिंग कोयला								
विद्युत उपयोगिताएं (सामान्य आव.)	307.92 (1.61)*	332.40 (1.45)*	362.93 (1.23)*	380.13 (0.68)*	442.00	405.00	483.00	473.00
कैप्टिव पावर	28.13 (1.64)*	29.31 (1.55)*	33.74 (1.38)*	38.47 (1.53)*	44.00	40.00	57.06	47.06
सीमेंट	19.67	21.27	18.85	20.80	30.00	25.98	31.90	33.35
इस्पात डीआर	17.47	20.92	19.78	22.89	28.80	28.80	28.96	28.96
बीआरके एवं अन्य	55.51	61.37	77.07	88.82	61.00	85.00	61.58	62.43
उप-जोड़ नान-कोकिंग	**428.70 (3.25)***	**465.27 (3.00)***	**511.37 (2.61)***	**542.86 (2.21)***	**605.80**	**584.78**	**662.50**	**644.74**
कुल जोड़ (I+II):	**463.87 (3.25)***	**504.29 (3.00)***	**549.03 (2.61)***	**582.25 (2.33)***	**656.31**	**624.78**	**731.00**	**713.24**

* मिडलिंग्स

4.2. कोयला उत्पादन :

कोल इंडिया लि. तथा एससीसीएल में कोयला उत्पादन निम्नवत है :-

(मिलियन टन में)

कंपनी	2006-07 **वास्तविक**	2007-08 **वास्तविक**	2008-09 **वास्तविक**	2009-10 **वास्तविक**	2010-11 **सं.अ.**	2010-11 **दिस.,** 2010 **तक** **(अंनतिम)**	2011-12 **(ब.अ.)**
सीआईएल	360.91	379.46	403.73	431.26	440.20	300.71	447.00
एससीसीएल	37.71	40.60	44.54	50.43	46.50	35.30	51.00
अन्य	31.88	36.94	44.66	50.37	52.06	37.82	55.16
जोड़	430.50	457.00	492.95	532.05	538.76	373.83	553.16

निवेश के सतत कार्यक्रम और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर अधिक जोर देकर 70 के दशक के प्रारंभ में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय में लगभग 96 मिलियन टन के स्तर से 2009-10 तक 532.06 मिलियन टन (अखिल भारतीय) तक कोयले के उत्पादन को बढ़ाना संभव हुआ है। वर्ष 2010-11 में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य का स्तर 572.37 मि.टन होगा। कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से नयी कोयला खनन परियोजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यकलापों को आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है।

लिग्नाइट

4.3. वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा दिसम्बर, 2010 (वास्तविक) के वास्तविक आंकड़ों के साथ संशोधित अनुमान 2010-11 और बजट अनुमान 2011-12 के लिए एनएलसी का उत्पादन कार्यक्रम निम्नवत है :-

मद	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (वास्तविक)	नवम्बर, 2010 (दिस.) तक (वास्तविक)	2010-11 सं.अ.	2011-12 ब.अ.
1.लिग्नाइट (मि.ट.)	21.59	21.31	22.34	16.42	21.90	23.95
2. विद्युत (एमयू)	17457	15768	17656	12730.51	16686	18576

योजना स्कीमों की समीक्षा

अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं

4.4. भारत सरकार ने कोयला मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) योजना तथा कोल इंडिया लि. ने अपनी आर एंड डी बोर्ड की सहायता के माध्यम से उत्पादन, उत्पादकता तथा कोयला खानों में सुरक्षा, कोयला परिष्करण और उपयोग तथा पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा में सुधार के लिए आर एंड डी कार्यकलाप आरंभ किए हैं। कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में उपर्युक्त विषयों पर अनुसंधान कार्य करने के लिए कोयला मंत्रालय और सीआईएल के आर एंड डी बोर्ड द्वारा वार्षिक रूप से पर्याप्त निधियां निर्धारित की जा रही हैं।

4.5. सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) कोयला संबंधी अनुसंधान कार्यकलापों को प्रशासित करने के लिए शीर्ष निकाय है और कोल इंडिया का अनुसंधान अनुदान सीआईएल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सीआईएल आर एंड डी बोर्ड के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

4.6. सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट (सीएमपीडीआई) कोयला एस एंड टी तथा सीआईएल आर एंड डी परियोजनाओं के समन्वय तथा मानीटरिंग के लिए नोडल एजेंसी है। इन परियोजनाओं को कोयला और लिग्नाइट खनन कंपनियों की सक्रिय भागीदारी के साथ कोयला और सम्बद्ध उद्योगों से संबंधित विभिन्न अनुसंधान तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, नोडल एजेंसी होने के कारण सीएमपीडीआई द्वारा कई अनुसंधान परियोजनाएं भी कार्यान्वित की गयी हैं/कार्यान्वित की जा रही हैं।

4.7. 10वीं तथा 11वीं योजनावधि (31.12.2010 तक) के दौरान कोयला एस एंड टी अनुदान के अंतर्गत कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित कोयला एस एंड टी परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत है :-

(करोड़ रू. में)

योजना	X योजना					XI योजना				
वर्ष	**02-03**	**03-04**	**04-05**	**05-06**	**06-07**	**07-08**	**08-09**	**09 -10**	**10-11**	**11-12** (अनुमानित)
पिछले वर्ष की शेष परियोजनाएं	42	42	49	47	45	36	34	28	23	16
वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं	10	18	08	09	02	09	05	07	02	06
वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाएं	52	60	57	56	47	45	39	35	25	22
वर्ष के दौरान पूरी की गयी परियोजनाएं	10	10	10	11	10	10	10	10	04 (31.12.10) + 04 (प्रत्याशित)	07
वर्ष के दौरान समाप्त/मोचन- निषेध की गयी परियोजनाएं	शून्य	01	शून्य	शून्य	01	01	01	02	01	-
चल रही परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-

कोयला एवं लिग्नाइट में प्रोन्नत (क्षेत्रीय) अन्वेषण

4.8 भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.), खनिज अन्वेषण निगम लि. (एम.ई.सी.एल.) तथा सी.एम.पी.डी.आई.एल. ने कोयला एवं लिग्नाइट के प्रोन्नत अन्वेषण की कोयला मंत्रालय की योजनागत स्कीम के अधीन 11वीं योजना में भी प्रोन्नत अन्वेषण को जारी रखे हैं। वर्ष 2009-10 में कोयला एवं लिग्नाइट के क्षेत्रों में की गई प्रोन्नत ड्रिलिंग तथा 2010-11 और 2011-12 हेतु कार्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(ड्रिलिंग मीटर में)

कमान क्षेत्र	**2009-10 वास्तविक**	**2010-11 ब.अ.**	**2010-11 सं.अ.**	**2011-12 प्रस्तावित ब.अ.***
वास्तविक				
1. सीआईएल कमान क्षेत्र में ड्रिलिंग	35983	70650	70650	78000
2. एससीसीएल कमान क्षेत्र में ड्रिलिंग	12303	14000	14000	14055
3. लिग्नाइट क्षेत्र में ड्रिलिंग	61046	70350	70350	71300
जोड़	**109332**	**155000**	**155000**	**163355**

* लक्ष्य की उपलब्धि वन क्षेत्रों में ड्रिलिंग शुरू करने तथा पता लगाए गए ब्लाकों में लिग्नाइट प्राप्त करने हेतु समय रहते वन अनुमादेनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

नोट:-

1) अप्रैल से दिसम्बर, 2010 की अवधि के दौरान कुल 73,326 मीटर की प्रोन्नत ड्रिलिंग की गई है। इसमें से 24,842 मीटर की ड्रिलिंग सीआईएल के कमाण्ड क्षेत्र में, 7,598 मीटर एससीसीएल के कमाण्ड क्षेत्र में और 40,886 मीटर की ड्रिलिंग लिग्नाइट क्षेत्रों में की गई है। इस अवधि के दौरान कोयला (5) तथा लिग्नाइट (3) अन्वेषण पर कुल 8 भू-वैज्ञानिक रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं।

2) एकीकृत कोयला भंडार सूचना पद्धति (आईसीआरआईएस) परियोजना के अधीन 1656 नक्शों के नक्शा डाटा कैप्चर को अन्तिम रूप दिया गया है तथा कार्य पूरा हो गया है। 33 ब्लाकों के सर्वेक्षण का एकीकरण एक एकल स्रोत में लाया गया है। भू-वैज्ञानिक माडलों के सृजन हेतु डाटा का प्रोसेसिंग प्रगति पर है तथा अप्रैल से दिसम्बर, 2010 की अवधि के दौरान 6 माडल तैयार कर लिए गए हैं। आईसीआरआईएस के लिए डाटाबेस के अभिकल्प और एकीकरण हेतु परामर्श सेवा का कार्य निविदा के माध्यम से दे दिया गया है और नवम्बर, 2010 से कार्य आंरभ हो गया है।

3) अप्रैल से दिसम्बर, 2010 के दौरान एकीकृत लिग्नाइट भंडार सूचना पद्धति (आईएलआरआईएस) परियोजना के अधीन सर्वर में 15 अन्वेषण रिपोर्ट अपलोड की गई और 12 ब्लॉक की भू-वैज्ञानिक माडलों का कार्य पूरा किया गया। डाटाबेस का सृजन करने हेतु सीजीएम/गुजरात की मौसमी रिपोर्टों के संकलन के लिए कार्रवाई चल रही है।

4) अप्रैल से दिसम्बर, 2010 की अवधि के दौरान कोयला बेड मीथेन (सीबीएम) अध्ययनों के लिए सीएमपीडीआई तथा जीएसआई ने क्रमशः 8 और 3 बोरहोलों से नमूने एकत्र किए हैं। एकत्रित किए गए नमूनों के विश्लेषण का कार्य चल रहा था।

गैर - सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण

4.9. सीआईएल और गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण का कार्य सीएमपीडीआई द्वारा जारी है। कोयला मंत्रालय की गैर-सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग की प्लान योजना के अधीन गैर - सीआईएल / केप्टिव खनन ब्लाकों में अन्वेषण ड्रिलिंग शुरू की जाती है।

4.10. 2009-10 में गैर - सीआईएल / केप्टिव खनन ब्लाकों में वास्तविक ड्रिलिंग के ब्यौरे तथा 2010-11 और 2011-12 का कार्यक्रम नीचे दिया गया है :-

(ड्रिलिंग मीटर में)

अभिकरण	2009-10 वास्तविक	2010-11 ब.अ.	2010-11 प्रस्तावित सं.अ.	2011-12 प्रस्तावित ब.अ.*
वास्तविक				
1) सीएमपीडीआई विभागीय	79504	74555	52200	56100
2) सीएमपीडीआई द्वारा आउटसोर्सिंग	140102	110000	139000	140000
कुल	**219606**	**184555**	**191200**	**196100**

* लक्ष्य की उपलब्धि वन क्षेत्रों में ड्रिलिंग आरंभ करने के लिए वन मंजूरी की समय पर उपलब्धता और भावी निविदा में अन्वेषण हेतु उपर्युक्त एजेंसियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

नोट**:**- अप्रैल से दिसम्बर, 2010 की अवधि के दौरान सीआईएल के कमाण्ड क्षेत्र में गैर-सीआईएल खनन ब्लाकों में कुल 175499 मीटर की विस्तृत ड्रिलिंग की गई है। इसमें से 43563 मीटर विभागीय संसाधनों के माध्यम से ड्रिल किया गया है और 131936 मीटर की ड्रिलिंग आउटसोर्स के माध्यम से की गई है। इस अवधि के दौरान एक ब्लाक की जीआर प्रस्तुत की गई है।

पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण

4.11. इस योजना का उद्देश्य आग तथा धंसाव की समस्याओं का समाधान निकाल कर झरिया और रानीगंज के पुराने खनित क्षेत्रों में पर्यावरणीय परिस्थितियों का सुधार करना है।

4.12. 11वीं योजना अवधि के दौरान पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण में बल दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

(क) रानीगंज कोयला क्षेत्रों में पुरानी, परित्यक्त, जलमग्न खानों में धंसाव पर नियंत्रण।

(ख) झरिया कोयला क्षेत्रों में खान की आग तथा धंसाव पर नियंत्रण।

(ग) रानीगंज, झरिया, बोकारो, करनपुरा आदि जैसे अधिक पुराने कोलफील्डों में उत्खनित क्षेत्रों का पुनरूद्धार।

(घ) झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में अस्थिर और आग प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास।

झरिया तथा रानीगंज कोलफील्डों के लिए मास्टर प्लान

4.13. झरिया और रानीगंज कोलफील्डों में आग और भूमि धंसाव की समस्याएं राष्ट्रीयकरण से पूर्व 200 वर्षों से पूर्व खान मालिकों द्वारा किए गए अवैज्ञानिक खनन के कारण होती है। गत वर्षों में पुराने खनन क्षेत्रों में आबादी कई गुना बढ़ गई है हालांकि ये क्षेत्र वास के लिए असुरक्षित हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन इलाकों को असुरक्षित घोषित किए जाने क बावजूद आबादी निर्वाध रूप से बढ गई। सरकार द्वारा आग और धंसाव की समस्या का समय-समय पर समाधान किया जा रहा है। इस समस्या से व्यापक रूप से निपटन के लिए इस संबंध में कोयला मंत्रालय के तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन दिसम्बर, 1996 में किया गया था जिसमें अन्य विभागों, संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि थे। इन सिफारिशें के आधार पर, वर्ष 1999 में भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों को शामिल करते हुए आग और धंसाव नियंत्रण तथा संबंधित पुनर्वास की समस्याओं का निदान करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार की गई, जिसे चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना था।

4.14. इस आधार पर सरकार ने विभिन्न पर्यावरणीय उपायों एवं धंसाव नियंत्रण (ईएमएससी) योजनाओं के लिए पहले से स्वीकृत 116.23 करोड़ रूपए सहित 9773.84 करोड़ रूपए (झरिया कोलफील्ड (जेसीएफ) के लिए 7112.11 करोड़ रूपए तथा रानीगंज कोलफील्ड (आरसीएफ) के लिए 2661.73 करोड रूपए) के अनुमानित निवेश से 12 अगस्त, 2009 को भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) के लीजहोल्ड के भीतर आग, धंसाव एवं पुनर्वास और सतही अवसंरचना के परिवर्तन से निपटने के लिए मास्टर प्लान अनुमोदित किया है। इस मास्टर प्लान के दस वर्षों के समय में कार्यान्वित करने की समय-सीमा है और बीसीसीएल के मामले में कार्यान्वयन-पूर्व कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त 2 वर्षों का समय दिया जाता है। सरकार द्वारा अनुमोदित झरिया और रानीगंज के लिए सभी मौजूदा ईएमएससी योजनाओं को मास्टर प्लान में शामिल कर लिया गया है। इस योजना की वित्त-व्यवस्था कोयला मंत्रालय की ईएमएससी प्लान योजना के माध्यम से की जाती है।

4.15. पुनर्वास प्रयोजनों के लिए प.बंगाल तथा झारखण्ड राज्य सरकारों ने क्रमश: आसनसोल - दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) और झारखण्ड पुनर्वास विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) को कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में अधिसूचित किया है। कोयला कम्पनियां (ईसीएल तथा बीसीसीएल) तकनीकी सहायता मुहैया करेंगी और परिव्यय की वित्त - व्यवस्था

आंशिक रूप से सीआईएल के आन्तरिक संसाधनों और सीसीडीए के अधीन उपकर संग्रह के माध्यम से की जाएगी।

4.16. झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान का शीघ्रता से कार्यान्वयन करने के लिए इस मंत्रालय ने कार्यान्वयन के पहलुओं की निगरानी के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त केन्द्रीय समिति का गठन किया था। अब तक इस समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं। झरिया कोयला क्षेत्र में प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन के लिए 50% सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और गैर बीसीसीएल व्यक्तियों के लिए 3100 मकानों में से 400 मकान में लोग पहले से निवास कर रहे हैं और 400 मकान आबंटित किए जा रहे हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र में पुनर्स्थापन के लिए 139 स्थानों में से 4 स्थानों पर जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। आईओसी पाइपलाइनों, सड़कों तथा रेल लाइनों जैसी सतही अवसंरचनाओं की दिशा बदलने के लिए ईसीएल द्वारा संबधित प्राधिकारणों से विचार-विमर्श जारी है।

<u>सीसीडीए के अंतर्गत कोयला खानों में संरक्षण तथा सुरक्षा और परिवहन अवसंरचना का विकास</u>

4.17. मुख्यत: कोयला खनिकों/खान के सुरक्षा पहलुओं से सम्बद्ध कोयले के संरक्षण को सुनिश्चित करने तथा अवसंरचनात्मक विकास के जरिए अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को कोयले के सुव्यवस्थित संचलन को सुकर बनाने के लिए कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत कोयला कंपनियों द्वारा किए गए खर्चों की आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति की जा रही है। उक्त अधिनियम केन्द्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह भारत की सभी कोलियरियों से (वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया) सभी उत्पादित तथा प्रेषित कोयले पर उत्पाद शुल्क संग्रह कर सकती है और कोयला खानों में सुरक्षा अथवा कोयले के संरक्षण, कोयले के संरक्षण से सम्बद्ध अनुसंधान कार्य के निपटान अथवा कोयला खानों के विकास और कोयले के संरक्षण से सम्बद्ध किसी अन्य प्रयोजन अथवा कोयला खानों अथवा परिवहन के विकास, कोयले के संवितरण अथवा उपयोग के लिए रेत भराई तथा अन्य प्रचालनों को करने के लिए मालिकों, एजेंटों अथवा प्रबंधकों को पूर्ववर्ती वर्ष अथवा वर्षों के दौरान संग्रह की गयी राशि को, जो निवल लाभ से अधिक न हो, प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान वितरित कर सकती है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कोयले पर उत्पाद शुल्क का संग्रह करना है जिसे अवसंरचनात्मक विकास सहित संरक्षण तथा विकास संबंधी कार्यों के लिए कोयला खानों को पूर्णतः वितरित किया जाएगा।

4.18. प्रतिपूर्ति की जांच और संवीक्षा कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) नियमावली, 1975 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित " कोयला संरक्षण तथा विकास सलाहकार समिति "(सीसीडीए समिति) द्वारा की जाती है। सरकार इन राशियों की प्रतिपूर्ति आंशिक रूप से (शेष कोयला कम्पनियों द्वारा वहन किया जाना है) कोयला कम्पनियों को, विगत वित्त वर्ष के दौरान पहले से विद्यमान देयता को ध्यान में रखते हुए, बजट प्रावधान के माध्यम से करती है। सीसीडीए उप समिति द्वारा आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है उसके बाद सीसीडीए समिति द्वारा आकलन किया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र/सिक्किम का विकास

4.19. इस विषय पर संगत निर्देशों के अनुसार योजनागत परिव्यय का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र/सिक्किम के विकास के लिए निर्धारित किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि यह राशि व्यय नहीं हो पाती है तो उसे केन्द्र सरकार के गैर-व्यपगत पूल में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

4.20. जनजातीय उप-योजना के लिए व्यवस्था

इस विषय पर संगत निर्देशों के अनुसार योजनागत परिव्यय का 8.2% जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि यह राशि व्यय नहीं हो पाती है तो उसे केन्द्र सरकार के गैर-व्यपगत पूल में अन्तरित कर दिया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अपने आन्तरिक एवं बाह्य बजट संसाधनों (आईईबीआर) से कार्यान्वित की गई परियोजनाएं

4.21. अपने आन्तरिक तथा बाह्य बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) का प्रयोग करने वाले कोयला पीएसयू द्वारा इन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है और सरकार उन्हें कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं करती है। 100 करोड़ रू. तथा उससे अधिक की लागत वाली कम्पनी-वार तथा परियोजना-वार स्थिति तथा ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया हैं।

अनुबंध -

कोल इंडिया लि. (सीआईएल) में 100 करोड़ रूपये तथा उससे अधिक की लागत वाली चल रही परियोजनाओं की स्थिति

विषय	क्र. सं.	परियोजना	प्रकार	स्वीकृत क्षमता (मि.ट.प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रू.)	स्वीकृति की तारीख	पूर्ण होने की निर्धारित तारीख	पूर्ण होने की अनुमानित तारीख	ग्रेड	लिंकेज	वास्तविक उत्पादन 09-10 (मि.ट.)	ब.अ. 2010-11 (मि.ट.)	संअ. 10-11 (मि.ट.)	ब.अ. 2011-12 (मि.ट.)	31.12.2010 के अनुसार स्थिति
ईसीएल	1	नरायनकुरी	यूजी	0.54	149.06	फर-09	मार्च 15	मार्च 15			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	235 मी. लम्बे, 7 मी.व्यास वाले दो नग साफ्ट को डुबाने के लिए एनआईटी; सीआइएल से मार्डल एनआईटी दस्तावेज प्राप्त हो गया है, साफ्ट को डुबाने का अनुमान तैयार किया जा रहा है। **ईएमपी** - टीओआर प्राप्त हो गया है। डब्ल्यूबीएसपीसीबी द्वारा पीएच की तारीख (15.9.10) रद्द कर दी गई है। **वन भूमि** - अपेक्षित नहीं है।
ईसीएल	2	झांझरा द्वितीय सीएम	यूजी	0.51	122.35	फर-09	मार्च 14	मार्च 14			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	सतत् खनिक के लिए वैश्विक संविदा को अंतिम रूप देनाः सतत खनिक के लिए एनआईटी (दूसरा सेट) 2.3.09 को आमंत्रित किया गया। भाग II 18.3.10 को खोला गया। उक्त की जांच चल रही है। **भूमिः** 229.20 हे. (78 हे. वन भूमि अ151.20 हें कारतकारी) के लिए सीबीए अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत अधिसूचना किया गया। **ईएमपीः** 3.5 मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए ईसी 1993 मौजूद है। 259.46 हे. अतिरिक्त भूमि के

															कारण नयी ईएमपी अपेक्षित है। 15.10.09 को टीओआर प्राप्त हुआ। ईएमपी का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
ईसीएल	3	सर्पी (सीआरई) आग.	यूजी	0.76	147.86	जून-08	मार्च 11	मार्च 11	**बी**	**विद्युत, सीमेंट, ईट**	**0.27**	**0.60**	**0.51**	**0.65**	**सतत खनिक का विलंब से आरंभ होना-** सतत खनिक 29.8.10 से आरंभ हुआ। **ईएमपी** - प्राप्त कर लिया गया है। भूमिः उखरा और सर्पी में एलए अधिनियम के अन्तगर्त 90.90 हे. भूमि अर्जित करने के लिए आवेदन 4.3.09 को एलए नियंत्रक, बर्दवान को प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अलावा एलए कलेक्टर, बर्दवान की सलाह के अनुसार नया प्रस्ताव अधिकतम (40.50 हे.) तैयार किया गया है और 22.6.10 को प्रस्तुत कर दिया गया है।
ईसीएल	4	झांजरा पीएसएल-डब्ल्यू (आर-vi)	यूजी	1.70	287.17	नव-06	मार्च 10	मार्च 12	**बी**	**एनटीपीसी**	**0.00**	**1.70**	**0.00**	**0.00**	पीएसएलडब्ल्यू के लिए वैश्विक ठेका को अंतिम रूप देना - संशोधित एनआईटी 30.1.09 को आमंत्रित किया गया। भाग 1 25.11.09 को खोला गया। निविदा का भाग 2 27.12.09 को खोला गया और उसकी जांच की जा रही है **ईएमपी** - पहले से विधमान है। वन भूमि - अपेक्षित नहीं।
ईसीएल	5	राजमहल विस्तार	ओसी	6.500	153.8200	सित-09	मार्च 14	मार्च 14	**एफ**	**फरक्का एवं कहल**	**0.00**	**5.50**	**2.50**	**2.50**	कोयले एवं ओबी की आंशिक आउटसोसिंग के

		(17)								गांव				लिए निविदा को अन्तिम रूप देनाः ईसीएल बोर्ड के निदेशानुसार एमसीएल की भुवनेश्वरी ओसीपी के पेटर्न पर एनआईटी आमंत्रित की गई है। एनआईटी तैयार की जा रही है। भूमि - शेष कास्तकारी भूमि (733 है.)- कब्जा लिया जा रहा है। पुनर्वास स्थल के लिए भूमिः पीएएफके पुनर्वास के लिए एलए अधिनियम के अन्तर्गत 24.02.05 को रानीडीह में 114.79 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई थी। मांग की तुलना में 80% तदर्थ भुगतान (अर्थात 60 लाख रूपय) उपायुक्त, गोड्डा के पास एक 01.08.05 को जमा किया गया । तब से नियमित अनुरोध के बावजूद एलए अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत अधिग्रहण के नोटिस उपार्यक्त गोड्डा द्वारा रानीडीह गांव के भूस्वामियों को भिजवा दिए गए हैं। इससे पीएफ के नियमित पुनर्वास के लिए मौजा रानीडीह से भूमि के वास्तविक कब्जें में विलम्ब हो रहा हैं। ईएमपीः पत्र दिनांक 11-05-2005 के तहत 17 मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए ईसी स्वीकृत की गई। आरएण्डआर 3150 पीएपी में 1383 का अब तक पुनर्वासित कर दिया गया है।

ईसीएल	6	चित्रा ईस्ट	ओ सी	1.30	112.69	अग-07	मार्च 12	मार्च 12	**डी**		**0.00**	**0.20**	**1.40**	**1.50**	**ओबी की आउटसोसिंग के लिए टेंडर को अंतिम रूप देना;** प्रस्ताव की जांच की जा रही है। **कास्तकारी भूमि-** एलए एक्ट. के अंतर्गत डीएलएओ, देवघर के पास 2.11.10 को 27.17 करोड़ रू. की राशि जमा की गई। अधिसूचना शीघ्र ही पूरी की जाएगी। **सरकारी भूमि (81.80 है.)**-डीसी देवघर को 4.5.06 को 16.40 है. के लिए आवेदन किया गया और यह उनके पास लम्बित है। **वन भूमि**-चरण 1 स्वीकृति के लिए 21.4.10 को अनुपालन जारी किया गया और 11.9.10 को डीएफओ देवघर को प्रस्तुत किया गया। मामला राज्य वन विभाग के पास लम्बित है। **ईएमपी-** 4.3.10 को प्रदान किया गया। **आरएण्डआर-** 586 परिवारों में से 60 परिवारों को पुनर्वासित किया गया।
बीसीसी एल	7	ब्लाक-II यूजी	यूजी	0.450	113.37 00	दिस.09	मार्च 14	मार्च 14	**डी**	**पावर सैक्टर**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	परियोजना को दिस.09 को अनुमोदित किया गया। परियोजना कार्यक्रम के अनुसार है।
सीसी एल	8	पुरनाडीह	ओ सी	3.000	210.98 00	जूलाई -08	मार्च 12	मार्च 12	**एफ**	**पावर (कैप्टिव)**	**0.10**	**0.60**	**0.60**	**1.00**	**वन भूमि-** 152.66 है. वन भूमि के लिए डीसी, चतरा से एनओसी की प्रतिक्षा है। प्रस्ताव नॉडल अधिकारी झारखंड को 24.8.10 को

															प्रस्तुत कर दिया गया है। नॉडल अधिकारी झारखंड ने कुछ सवाल किए है। सवालों का अनुपालन कर दिया गया है। नॉडल अधिकारी झारखंड ने प्रस्ताव को नव.10 में डीएफओ चतरा,साउथ को अग्रेषित कर दिया है। दिस.10 में डीएफओ चतरा साउथ कुछ सवाल उठाए है। मुख्य सचिव (वन) झारखंड सरकार को जीएमके जंगल झाडी भूमि जारी करने को गति प्रदान करने के लिए 1.12.10 को अनुरोध किया गया था। **ईएमपी-** 19.5.09 के पत्र के माध्यम से ईसी प्राप्त हुई।
सीसी एल	9	राजरप्पा (आरसीई)	ओ सी	3.00	510.85	दिस-09	मार्च 16	मार्च 16	**डब्ल्यू जी-II**	**राजरप्पा वाशरी**	**1.10**	**1.10**	**1.10**	**1.25**	125.72 की वृद्धि पूंजी के लिए दिस.09 में आरसीई अनुमोदित किया गया। **वन भूमि** - सीसीएल एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से गणना की जाएगी। डीएफओ बोकारों ने अपने अधिकारियों को संयुक्त रूप से गणना का कार्य पूरा करने का अनुदेश दिया है। अस्थाई पिलरिंग का कार्य चल रहा है। एसटी एवं ओटीएफडी एक्ट. 2006 के अंतर्गत स्वीकृति को गति प्रदान करने के लिए 20.9.10 को एसडीओ बोकारों से अनुरोध किया गया। एसटी एवं ओटीएफडी (वन अधिकार की मान्यता) एक्ट.2006 के अंतर्गत

															स्वीकृति प्रतीक्षित है। 23.12.10 को डीएफओ बोकारों के साथ बैठक आयोजित की गई। **ईएमपी** - पहले ही अनुमोदित है।
सीसी एल	10	पारेज ईस्ट	यूजी	0.51	128.89	मई-08	मार्च 12	मार्च 12	**डब्ल्यू/ 1- डब्ल्यू /11**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	इन्क्लाइन ड्राईवेज के लिए निविदा को अन्तिम रूप देकर उसे आमंत्रित किया गया। प्रारूप एनआईटी तैयार किया गया और अब संवीक्षाधीन है। ईएमपी अनुमोदित टीओआर 24.08.09 को प्राप्त हुआ। वन भूमि; 87.69 हे. वनभूमि का प्रस्ताव वनविभाग से 31.08.09 को वापस लिया गया। प्रस्ताव को 24.09.09 को डीएफओ, रामगढ़ को पुनः प्रस्तुत किया गया पिलरिंग का कार्य सीसीएल द्वारा पूरा किया गया है। सीसीएल द्वारा गणना पूरा किए जाने संबंधी रिपोर्ट डीएफओ, रामगढ़ को 3.8.10 को प्रस्तुत की गई है। डीएफओ रामगढ़ द्वारा 17.8.10 को स्थल निरीक्षण किया गया है। स्थल निरीक्षण के दौरान डीएफओ रामगढ़ ने संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा है। 85.18 हे. वन भूमि का संशोधित प्रस्ताव 10.9.10 को प्रस्तुत कर दिया गया है। शीघ्र ओटीएफडी स्वीकृति के लिए एसडीओ से अनुरोध किया गया है। एसटी एवं ओटीएफडी (वन

															अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत स्वीकृति प्रतीक्षित है।
सीसी एल	11	मगध विस्तार	ओ सी	20.00	706.40	अग-08	मार्च 13	मार्च 13	**एफ**	**एनके एसटीपी पी**	**0.00**	**0.00**	**0.25**	**0.30**	मगध 20 एमटीवाई के लिए कोयले एवम ओबीआर की आउटर्सोसिंगः एनआईटी पूर्व बैठक 17.12.09 को आयोजित की गई। सम्भावित बोलीदाताओं द्वारा दिए गए सशोधित सुझावों को प्रारूप एनआईटी में सम्मिलित किया जा रहा है। ईएमपीः 20 एमटीवाई के लिए ईसी 27.10.08 को प्राप्त हुआ। वन भूमि; वन मुआवजे के रूप में 31.03.09 को 7.42 करोड़ रूपय प्रदान किए गए। चरण-रूरू स्वीकृतिः 19.05.09 को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आरसीसीएफ, हजारी बाग ने स्वीकृति को नवम्बर 09 में नोडल अधिकारी, झारखण्ड को अग्रेसित किया है। मुख्य सचिव झारखण्ड ने वन विभाग को प्रस्ताव का गति प्रदान करने के लिए निदेश दिया है। आर एण्ड आर 998 पीएएफ को पुनर्वासित किया जाना है।
सीसी एल	12	अशोक विस्तार (10 एमटीवाई)	ओ सी	10.00	341.63	दिस-07	मार्च 11	मार्च 11	**एफ**		**7.60**	**8.75**	**7.80**	**8.10**	पीआर के अनुसार (10एमटीवाई) कोयले एवम सीसीएल बोर्ड द्वारा 36 महीनें के लिए टीओआर को 20.9 मि.ट. कोयले के लिए 30.7.09 को अनुमोदित किया। अगस्त 09 में कार्य सौंपा गया और

															काम चल रहा है। ईएमपी; 10 एमटीवाई के लिए ईसी 17.04.08 को अनुमोदित किया गया। वन भूमि; 168.15 हे. रिलीज करने का प्रस्ताव 21.11.07 को नोडल अधिकारी, झारखण्ड को प्रस्तुत किया गया। डीसी, चतरा की ओर से जीएमके / जगंल झाड़ी की एनओसी डीएफओ को प्रस्तुत की गई। सीसीएल द्वारा चिन्हाकनं किया जा रहा है। चिन्हाकन पूरा करने के लिए क्षेत्र से 21.5.09 को अनुरोध किया गया है। पिलरिंग का कार्य पूरा हो गया है। संयुक्त गणना का कार्य 25.9.10 को पूरा हुआ और 27.9.10 को रिपोर्ट डीएफओ चतरा साउथ को प्रस्तुत की गई। एसडीओ चतरा को एसटी एंड ओटीएफडी एक्ट 2006 के अतंर्गत स्वीकृति को गतिप्रदान करने के लिए 20.9.10 को अनुरोध किया गया। एसटी एंड ओटीएफडी (वन अधिकार की मान्यता) एक्ट 2006 के अंतर्गत स्वीकृति प्रतीक्षित है। आर एण्ड आर - आज की तारीख तक 200 पीएपी में से 62 को पुर्नवासित किया गया है।
सीसी एल	13	तापिन	ओ सी	2.50	264.68	अग-08	मार्च 12	मार्च 12			**0.55**	**0.70**	**0.50**	**1.00**	**ईएमपी-** 5.10.09 को ईसी प्राप्त हुई। **वन भूमि-** एमओईएफ द्वारा 27.2.09 को चरण 1

														स्वीकृति प्रदान की गई। चरण 2 के लिए प्रस्ताव अगस्त 10 में एमओईएफ, भारत सरकार को भेजा गया। वर्तमान में यह एमओईएफ भारत सरकार के पास है। एमओईएफ भारत सरकार ने प्रश्न पुछा है कि क्या एसटी एंव अन्य पारम्परिक वन वासियों के अधिकारों को, 22.12.10 को झारखंड सरकार की ओर से एसटी एवं ओटीएफडी (वन अधिकारों की मान्यता) एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुसार, निपटा दिया गया है।
सीसी एल	14	रोहिणी विस्तार (ईपीआर)	ओ सी	2.00	105.67	सित-08	मार्च 11	मार्च 11	ई	**पावर (कैप्टिव)**	**0 .82**	**0.30**	**0.40**	**0.30**	**हैम की खरीद के लिए आपूर्ति आदेश** कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। **ईएमपी-** 5.10.09 को ईसी प्राप्त की गई। **वन भूमि-** 71.98 है. वन भूमि पहले ही रिलीज कर दी गई है और कब्जे में है। सीएफ, रांची में प्रस्ताव को 74.81 है. वन भूमि रिलीज करने का प्रस्ताव जन. 09 में आरसीसीएफ को अग्रेषित किया है। नॉडल अधिकारी, झारखंड ने इसे 10.7.09 को पीसीसीएफ झारखंड को अग्रेषित किया। पीसीसीएफ ने फाईल अग.09 में सचिव (वन) झारखंड सरकार को अग्रेषित कर दिया है। सचिव (वन) ने सित.09 में पीसीसीएफ से सवाल किया है। नॉडल अधिकारी झारखंड द्वारा दिस.09 में

														पीसीसीएफ झारखंड को उत्तर भेज दिया गया है। सचिव (वन) ने इसे दिस.09 में राज्यपाल के सलाहकार को अग्रेषित कर दिया है। सचिव (वन) ने झारखंड सरकार ने 19.6.10 को एमओईएफ, भारत सरकार को प्रस्ताव की सिफारिश की है। एफएसी की बैठक 20.8.10 को आयोजित की गई। एफएसी ने चरण 1 की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की। एमओईएफ, भारत सरकार ने 27.10.10 को झारखंड सरकार से सवाल किए है। नॉडल अधिकारी झारखंड सरकार के साथ चर्चा की गई है।
सीसी एल	15	नार्थ उरीमरी	ओ सी	3.00	179.87	दिस-07	मार्च 11	मार्च 11	**सी**		**0 .27**	**0.50**	**0.30**	**0.40**	**ईएमपी-** ईसी 8.2.06 को प्राप्त की गई। **वन भूमि-** 226.51 है. के लिए 23.2.09 को एमओइएफ द्वारा चरण 1 स्वीकृति प्रदान की गई। 1732.955 लाख रू. की एनपीवी सहित सीसीएल द्वारा कुल मुआवजा प्रदान किया गया। पीसीसीएफ झारखंड ने प्रस्ताव को सचिव (वन) झारखंड सरकार को नव.09 में अग्रेषित किया है। एसडीओ हजारीबाग ने 1.9.10 को एसटी एंड ओटीएफडी (वन अधिकार) एक्ट.2006 के अंतर्गत स्वीकृति जारी किया है। चरण 2 के लिए प्रस्ताव अक्टू.10 को

															एमओईएफ को भेज दिया गया है। **आर एंड आर-** 245 परिवारों को पुनर्वासित किया जाना है।
सीसी एल	16	चुरी-बेन्ती सीएम	यूजी	0.81	165.51	अग-07	मार्च 11	मार्च 11	बी (एल एफ)		**0.07**	**0.10**	**0.09**	**0.11**	इन्क्लाइन न.6 को ऊचाँ तथा चौड़ा करना; निविदा की सवीक्षा की जा रही है। इएमपी टीओआर 17.01.2008 को अनुमोदित किया गया। डाटा तैयार करने का कार्य पूरा हो गया है। प्रारूप ईएमपी तैयार किया जा रहा है। वन भूमि- 12.10.10 के पत्र सं. एफ सं. 8-49/एफसी 2008 के माध्यम से चरण 2 स्वीकृति प्राप्त हुई। ईएमपी- 28.1.10 को पीएच आयोजित की गई। इएमपी तैयार की जा रही है।
सीसी एल	17	उरीमरी (ईपीआर)	ओ सी	2.00	143.57	जन-09	मार्च 11	मार्च 11	**डी**	**पावर (कैप्टिव)**	**1.51**	**2.50**	**1.65**	**1.95**	17. हेम की खरीद के लिए आपूर्ति आदेश; कार्रवाई आरम्भ कर दी गइ है। ईएमपीः 11.05.09 को सार्वजनिक सुनवाई के लिए ईएमपी जेएसपीसीबी को प्रस्तुत की गई। वन भूमि; 105.72 हे. का प्रस्ताव दिसम्बर 09 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेसित किया गया है। एफएसी फरवरी 2010 में आयोजित किया जाना है।
सीसी एल	18	कर्मा	ओ सी	1.00	162.46	जून-09	मार्च 14	मार्च 14	**डी**	**बास्केट**	**0.21**	**0.30**	**0.28**	**0.29**	परियोजना जून 09 में अनुमोदित की गई। परियोजना कार्यक्रम

															अनुसार है। **वन भूमि-** सीबीए एक्ट. के अंतर्गत भूमि पहले ही अजित कर ली गई है। 132.28 है. भूमि पहले ही रिलीज कर दी गई है। सपंर्क मार्ग के लिए शेष 3.16 है. वन भूमि रिलीज करने के लिए चरण 1 स्वीकृति प्रदान की जानी है। दिस.09 में एमओईएफ भुवनेश्वर को अग्रेषित कर दिया गया। एमओईएफ भुवनेश्वर ने 10.3.10 को मुख्य सचिव (वन) झारखंड सरकार से कुछ प्रश्न पूछे है। मामले पर 8.5.10 को डीएफओ रामगढ के साथ विचार विमर्श किया गया। डीएफओ रामगढ द्वारा प्रश्नों के उत्तर 8.5.10 को अग्रेषित किया गया। आरसीसीएफ हजारीबाग ने प्रश्नों के उत्तर 29.7.10 को नॉडल अधिकारी/ पीसीसीएफ, झारखंड को अग्रेषित किया। नॉडल अधिकारी झारखंड ने प्रश्नों का उत्तर उप-सचिव झारखंड सरकार को 16.8.10 को अग्रेषित किया। उप सचिव (वन), झारखंड सरकार ने 20.8.10 को एमओईएफ भुवनेश्वर को प्रश्नों के उत्तर अग्रेषित किया। एमओईएफ भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर ने झारखंड सरकार से 5.10.10 को एक प्रश्न पूछा है। नॉडल अधिकारी

															झारखंड के साथ 14.12.10 को चर्चा की गई और यह उत्तर दिया गया कि प्रश्नों का उत्तर इस कार्यालय से भेज दिया गया है। ईएमपी- ईसी 22.10.10 को प्राप्त हुई।
सीसी एल	19	गोविंद पुर फेस-II	ओ सी	1.20	142.11	दिस-09	मार्च 13	मार्च 13	**ई**	**बास्केट**	**0 .00**	**0.90**	**1.00**	**1.10**	परियोजना जून 09 में अनुमोदित की गई। परियोजना कार्यक्रम के अनुसार है। **वन भूमि-** पीआर के अनुसार कुल वन भूमि की आवश्यकता 60.47 है. है। कब्जे वाले वन भूमि 48 है. है।
एनसी एल	20	निगाही विस्तार फेस-II (15 मि.ट. प्रतिवर्ष)	ओ सी	5.00	2105.89	अक्टु-07	मार्च 12	मार्च 12	**सी,डी, ई**	विंहयाचल सुपर टीपीएस	**12.36**	**14.00**	**14.00**	**15.00**	ईएमपीः ईसी 8.5.2007 के पत्र के माध्यम से पत्र भेज दिया गया। वनभूमिः 2018-19 के पश्चात ही भूमि की आवश्यकता होगी। आर एण्ड आरः 1357 पीएपी में से 625 को अब तक पुर्नवासित किया गया है।
एनसी एल	21	कृष्णाशिला	ओ सी	4.00	789.88	मई-06	मार्च 10	मार्च 13	**डी- ई**	रेणुसागर टीपीएस	**3.52**	**4.00**	**4.00**	**4.00**	**ईएमपी-** ईसी प्रदान की गई। शेष 148.86 है.। **वन भूमि-** वृक्षो की कटाई एवं गिरे हुए वृक्षो को उठाने का कार्य मई 09 में पूरा किया गया। भूमि को अभी उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंपा जाना है। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। **आर एंड आर-** पूरा हो गया है।
एनसी एल	22	अम्लोहरी विस्तार	ओ सी	10.00	1896.96	मई-06	मार्च 16	मार्च 16	**डी-जी**	रिहन्द सुपर टीपीएस	**6.15**	**6.00**	**6.50**	**8.00**	ईएमपीः 10 एमटीवाई के लिए ईसी आनुमोदित किया गया । भूमिः ईएमपीः

															विस्तार पीआर (10 एमटीवाई) के लिए किसी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं हैं। तथापि, 4 एमटीवाई के गैर-वन की शेष 81 हे. की आवश्यकता है। 46 हे. काश्तकारी भूमि के कब्जे के लिए कारवाई की गयी है। 35 हे. सरकारी भूमि से सम्बन्धित मामला न्यायाधीन है। आर एण्ड आरः 197 पीएपी में से 151 पीएपी को पुनर्वासित किया गया है।
एनसी एल	23	ब्लाक-बी	ओ सी	3.50	746.04	जूलाई -06	मार्च 15	मार्च 15	**सी-एफ**	सूरतगढ़ टीपीएस एवं बास्केट	**3.36**	**4.00**	**4.00**	**4.00**	**ईएमपी-** 2.2.06 के पत्र के माध्यम से ईसी प्रदान की गई। वन भूमि- 2013-14 में शेष 85 हे. भूमि अपेक्षित है। गैर वन भूमि (31.32 है.+ 97 है. अतिरिक्त) का शेष 128.32 है. - 31.32 है.। कासकारी भूमि - चूंकि कासकार बारबार नोटिस दिए जाने के बावजूद भुगतान लेने नही आए, 236 कासकारों के लिए 32.19 लाख रू. का अनुमोदन परिक्रयाधीन है। अतिरिक्त 97 है. कासकारी भूमि- कार्य प्रगति पर है। आर आर - 569 पीएपी को पुनर्वासित किया जाना है।
एनसी एल	24	बीना विस्तार ओसी	ओ सी	6.00	337.61	नव-06	मार्च 14	मार्च 14	**ई**	विविध	**6.00**	**6.00**	**6.00**	**6.00**	**ईएमपी-** अगस्त 2006 में अनुमोदित की गई। वन भूमि- शेष 279 है. एमपी राज्य में है। पेड गिराने की लागत का भुगतान कर दिया गया है। 100 है. भूमि प्रोजेक्ट को पहले ही दी गई है। शेष 22 है. यूपी

														स्टेट में है। पेड़ गिराने का पूरा बकाया दे दिया गया है। कटाई का कार्य अभी आरंभ किया जाना है। 2012-13 में इस भूमि की आवश्यकता होगी। आरआर- पूरा कर दिया गया है।
एनसी एल	25	दुधीचुआ विस्तार (15.00)	ओ सी	5.00	326.57	जुलाई -08	मार्च 14	मार्च 14	**सी, डी**	एनटीपीसी का विप्स	**0.00**	**4.00**	**0.00**	**2.00**	कार्यक्रम अनुसार है।
डब्ल्यूसी एल	26	पेनगंगा	ओ सी	3.00	339.77	अक्टु -08	मार्च 12	मार्च 12	**एफ**	विविध	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	15.4.09 के पत्र माध्यम से ईएमपीः टीओआर प्राप्त हुआ। टीओआर के अनुपालन में एमपीसीबी को दस्तावेज 27.11.09 को प्रस्तुत किए गए। सार्वजनिक सुनवाई की तारीख पतीक्षित है। 766 है. भूमि सीबीए अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत 29.10.10 को अधिसूचित की गयी। पेन गंगा नदी के पुल तक पहुचने के लिए 4.23 है. कासकारी भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव एमओसी को प्रस्तुत किया गया, अधिसूचना प्रतीक्षित है।
एसईसी एल	27	अमलाई विस्तार एसईसी-8	ओ सी	1.50	198.59	नव-09	मार्च 14	मार्च 14	**सी**	तापीय विद्युत गृह	**1.15**	**0.80**	**0.65**	**0.60**	नवम्बर ,09 में पीआर अनुमोदित की गयी। अतिम ईएमपी समुह अवधारणा के अंतर्गत है क्योंकि ओसी खानों का धान पूरी - अमलाई समुहों एमओईएफ को प्रस्तुत कर दिया गया है। 21.12.10 को ईएसी आयोजित की गई, एमओईएफ के पास लम्बित

															है। वन भूमि- आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। गैर वन भूमि- एमपीएलआरसी एक्ट के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए कलेक्टर, शहडौल को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। 10.5.10 को पीएच आयोजित किया गया।
एसईसी एल	28	मानिकपुर विस्तार	ओ सी	3.50	321.50	नव-09	मार्च 14	मार्च 14	**एफ**	थर्मल पावर	**2.43**	**0.00**	**2.45**	**2.00**	नवम्बर,09 में पीआर अनुमोदित की गई। ईएमपी- अंतिम ईएमपी 10.1.10 को एमओईएफ को अग्रेषित की गई, एमओईएफ के पास लम्बित है। वन भूमि- 194.728 है. की चरण 2 की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। वास्तविक कब्जा शीघ्र ही मिलने की संभावना है। गैर वन भूमि - पहले ही अर्जित कर ली गई है।
एसईसी एल	29	बरौद विस्तार (राय वेस्ट)	ओ सी	3.00	135.58	जुलाई -08	मार्च 15	मार्च 15	**एफ**	विद्युत संयंत्र / विविध	**1.13**	**1.80**	**2.00**	**1.85**	**ईएमपी-** 20.5.09 को ईसी अनुमोदित की गई। भूमि- 127 है. भूमि एलए एक्ट की धारा के अंतर्गत अधिसूचित की गई है। मुआवजे की राशि मार्च 10 में जमा की गई है। वितरण किया जा रहा है। भूमि का वास्तविक कब्जा अंशिक रूप से ले लिया गया है। वन भूमि- 236.53 है. राजस्व वन भूमि पर पंजीकरण सं. के आवंटन के लिए कलेक्टर रायगढ़ से एमओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। आर एंड आर- 390 पीएपी को पुनर्वासित किया जाना है।

एसईसी एल	30	कुसमुण्डा विस्तार-II	ओ सी	15.00	1188.31	जुन-08	मार्च 13	मार्च 13	**एफ**	केटीपीएस एवं विविध	**11.20**	**14.00**	**14.00**	**15.00**	**ईएमपी-** 15 मि.ट.प्रतिवर्ष के लिए ईसी 3.6.09 को प्राप्त हुई। वन भूमि- राजस्व वन के लिए एफसी प्रस्ताव एमओईएफ नई दिल्ली के पास लम्बित है। भूमि- 3.4.10 को धारा 9(1) के अंतर्गत 752.458 है. भूमि अधिसूचित की गई। आर एंड आर- 1065 पीएपी को पुनर्वासित किया जाना है।
एसईसी एल	31	गेवरा विस्तार	ओ सी	10.00	1008.12		मार्च 14	मार्च 14		विविध	**0.00**	**10.00**	**10.00**	**10.00**	ईएमपी- 35 मि.ट.प्रतिवर्ष के लिए 3.6.09 को ईसी प्राप्त की गई। शेष भूमि- कास्तकारी भूमि (495 है.) सीबीए एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचित की गई। मुआवजे का मूल्याकंन किया जा रहा है। सरकारी भूमि (44 है.)- सीबीए एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचित। आर एंड आर- गांव पुंडी के भूमि के लिए मुआवजा तैयार कर लिया गया है और मुख्यालय में सक्षम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।
एसईसी एल	32	बतुरा ओसी	ओ सी	2.00	203.82	सित-08	मार्च 15	मार्च 15	**सी**	विविध	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	ईएमपी- 27.9.10 को ईसी आयोजित की गई। एमओईएफ द्वारा सवाल उठाए गए है, एसईसीएल द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया जाना है। भूमि- 942.87 है. भूमि को सीबीए एक्ट की धारा 7(1) के अंतर्गत 4.6.10 को अधिसूचित किया गया। धारा 9(1) के अंतर्गत अधिसूचना का प्रस्ताव 21.9.10 को एमओसी को प्रस्तुत किया

															गया। आर एंड आर- 1870 पीएपी को पुनर्वासित किया जाना है।
एसईसी एल	33	जगन्नाथपुर (महान- III एवं IV	ओ सी	3.00	152.43	सित-08	मार्च 15	मार्च 15	ई	विविध	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	ईएमपी- फार्म -1 प्रस्तुत किया जाना है। भूमि- 679.79 है. भूमि को धारा 9 के अंतर्गत 7.8.10 को अधिसूचित किया गया। धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचना का प्रस्ताव 27.12.10 को एमओसी को प्रस्तुत किया गया।
एसईसी एल	34	चुर्चा आरई-आग	यूजी	1.35	462.35	जून-08	मार्च 14	मार्च 14	बी/सी (एल एफ)	विद्युत संयंत्र	**1.32**	**1.25**	**1.25**	**1.35**	ईएमपी- एक मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए ईसी फरवरी 95 से मौजूद है। 2.10 मि.ट.प्रतिवर्ष के लिए अंतिम ईएमपी प्रस्तुत की गई, 21.12.10 को ईएसी आयोजित की गई। भूमि- भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।
एसईसी एल	35	पेलमा	ओ सी	10.00	448.32	जूलाई -08	मार्च 15	मार्च 15	एफ	विद्युत संयंत्र	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	ईएमपी- टीओआर के लिए इएसी की बैठक 30.8.10 को आयोजित की गई। भूमि- धारा 9(1) के अंतर्गत 10.12.10 को अधिसूचना जारी की गई। आर एंड आर- 1250 पीएपी को पुनर्वासित किया जाना है।
एसईसी एल	36	केरतल ईस्ट	ओ सी	2.50	178.44	जूलाई-08	मार्च 14	मार्च 14	सी/ इ	विविध	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	ईएमपी- टीओआर के लिए ईएसी की बैठक 30.8.10 को आयोजित की गई। भूमि- धारा 7(1) के अंतर्गत 841.20 है. भूमि 5.6.10 को अधिसूचित की गई। धारा 9(1) के अंतर्गत अधिसूचना का प्रस्ताव अक्टूबर 10 में एमओसी को प्रस्तुत किया गया।

एसईसी एल	37	गेवरा विस्तार (2)	ओ सी	25.00	1667.55	जूलाई-05	मार्च 12	मार्च 12	**एफ**	विद्युत संयंत्र	**35.00**	**25.00**	**25.00**	**25.00**	
एसईसी एल	38	दिपका विस्तार (20-25 मि.ट. प्रतिवर्ष)	ओ सी	25.00	1943.66	अक्टू-09	मार्च 14	मार्च 14	**ई**	केटीपीएस एवं विविध	**24.09**	**20.00**	**25.00**	**25.00**	ईएमपी- 25 मि.ट.प्रतिवर्ष के लिए ईसी प्राप्त की गई। भूमि- हरदी ब्लॉक में 193.116 है. भूमि धारा 11(1) के अंतर्गत 4.12..04 को पहले ही अधिसूचित कर ली गई है। मुआवजे का निपटारा और रोजगार प्रक्रियाधीन है। हरदी ब्लॉक में (प्रथम विस्तार) 104.94 है. भूमि धारा 11(1) के अंतर्गत 7.8.10 को अधिसूचती की गई।
एमसी एल	39	भुवनेश्वरी ओसीपी	ओ सी	20.00	490.10	दिस-07	मार्च 16	मार्च 16	**डी-जी**	बास्केट	**4.00**	**8.00**	**6.00**	**10.00**	ईएमपी- 10 मि.ट.प्रतिवर्ष के लिए ईसी 2003 से विद्यमान है। 20 मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए टीओआर प्राप्त हो गया है। 10.2.09 को पीएच आयोजित किया गया। 5.8.10 को ईडी (पर्या.एंव वन) सीआईएल नई दिल्ली को अंतिम ईएमपी भेज दिया गया है। ईएसी प्रतीक्षित है। वन भूमि- 112.52 है. के लिए चरण 2 16.12.04 (प्रथम 25 वर्ष) को प्राप्त हो गया है। पेड की गणना कर ली गई है। पेड गिराने का काय आरंभ हो गया है किन्तु ग्रामीण आर एंड आर लाभ के लिए इसका विरोध करते है। 53.411 है. क्षेत्र सौप दिया गया है। आर एंड आर- बागमारा एवं गुरजंग

															पुर्नस्थापन स्थल पर पुनर्वास की पहचान की गई है। गुरजंग स्थल पर 200 प्लाट आवंटित किए गए है। प्लाट के बदले 11 नकद मुआवजे प्रदान किए गए है। जरदा के ग्रामीण गुरजंग स्थल पर जाने से आपत्ति कर रहे है। कलेक्टर अंगूल से आर आर स्थल के लिए 60 है. भूमि और आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।
एमसी एल	40	कनिहा ओसीपी	ओ सी	10.00	457.77	दिस-07	मार्च 13	मार्च 13	**डी-जी**	बास्केट	**0.00**	**2.71**	**1.00**	**2.00**	ईएमपीः 31.10.2007 को ईसी प्राप्त किया गया। वन भूमिः 155.18 हे. के चरण-रु हेतु सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित खनन नक्शे को 30.7.08 को सीसीएफ (एन), भुवनेश्वर को प्रस्तुत किया गया था और उसे 10 बिन्दुओं के अनुपालन के लिए 01.09.08 को लौटा दिया गया था। अनुपालन 01.07.09 को प्रस्तुत किया गया और स्थल निरीक्षण के लिए ओएफओ को अग्रेषित किया गया। वृक्षों की गणना कर ली गई है। वन क्षेत्र के लिए मुआवजे की पहचान कर ली गई है। ग्राम सभा प्रस्ताव के लिए 16.3.10 को आवेदन किया गया है। ग्राम सभा प्रस्ताव के पश्चात कलेक्टर द्वारा एनओसी जारी किया जाएगा। अन्य भूमिः 976.93 हे. गैर-वन भूमि

															के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। आर एण्ड आरः पीआर के अनुसार 1715 है। गुरजंग स्थल पर उपलब्ध 200 प्लाटों में से जमनिया और अदैताप्रसाद के पीएएफ को बसाया जा सकता है। हनुमानपुर और बउदाबेदा में 130 एकड़ पुनर्वास स्थल की पहचान की गयी है। अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।
एमसी एल	41	गोपाल प्रसाद	ओ सी	15.00	395.87	फर – 08	मार्च 15	मार्च 15	डी-जी	बास्केट	0.00	0.00	0.00	0.00	ईएमपीः टीओआर 31.12.08 को प्राप्त हुआ। प्रारूप ईएमपी तैयार किया गया। 18.12.09 को पीएच आयोजित की गयी। 23.11.10 को ईएसी आयोजित की गई। ईएसी द्वारा विचार नहीं किया गया क्योंकि परियोजना सीईपीआई के कारण अत्यन्त दूषित क्षेत्र के अंतर्गत आती है जिसके लिए 31.3.10 तक मोरेटोरियम प्रदान किया गया है। वनभूमिः 86.51 हे. के लिए चरण-I जेवी कम्पनी के नाम से माइन प्लान अनुमोदन हेतु कोयला मंत्रालय को भेजा गया है। कोयला मंत्रालय ने जेवी कम्पनी द्वारा अन्वेषण लागत जमा कराने के बारे में पूछा है। 17.12.2009 को पीसीसीएफ, भुवनेश्वर ने फील्ड निरीक्षण रिपोर्ट तथा रिकार्डो के सत्यापन के लिए डीएफओ को अग्रेषित किया है। इस

															समय चिन्हाकन और वृक्ष की गणना का कार्य चल रहा है। एमओसी की सलाह के अनुसार शेष भूमि की सीबीए एक्ट की अधिसूचना धारा 3 के लिए आवेदन 7.7.10 के 288 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। संशोधित फार्म में 9.9.10 को पुन प्रस्तुत किया गया है। वन भूमि के डायवर्जन का कार्य एक वर्ष की अवधि के भीतर स्वीकृति के लिए मै. जियो-माइनटैक को ओएस किया गया है। आरंभ किए जाने की तारीख 10.6.09 है। वृक्ष की गणना, सीए स्थल की पहचान एवं डीएफओ द्वारा निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। ग्राम सभा प्रस्ताव के लिए आवेदन किया गया है। वन जीव योजना/ आउटसोर्स संरक्षण की तैयारी की जा रही है। अन्य भूमिः सीबीए अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत 947.13 हे. भूमि 25.9.07 को अधिसूचित की गयी। शेष 409.87 हे. भूमि धारा 4(1) के अन्तर्गत अधिसूचना के लिए कोयला मंत्रालय को भेजी गयी थी। कोयला मंत्रालय ने सीबीए अधिनियम के अन्तर्गत जेवी कम्पनी द्वारा भूमि के अधिग्रहण के प्रति आपत्ति की। उक्त को 24.12.10 को अनुमोदित किया गया और प्रकाशन की प्रतीक्षा

														है। काश्तकारी भूमिः वह भाग जिसे सीबीए अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया था, अधिग्रहीत कर लिया गया है और ढांचे की माप की जा रही है। आर एण्ड आरः पीएएफ की मूल्यांकन किया जा रहा है। काश्तकारी भूमि पर वृक्षों तथा अन्य अधिकारों का मूल्यांकन पूरा किया गया। इस समय ढांचागत मापन कार्य प्रगति पर है।
एमसी एल	42	बलराम विस्तार	ओ सी	8.00	172.0 8	दिस-07	मार्च 10	मार्च 11	**एफ/ जी**		**3.61**	**0.00**	**4.50**	**6.50**	ईएमपीः सीएमपीडीआईएल द्वारा संशोधित फार्म-I तैयार किया जा रहा है। वन भूमिः दिसम्बर, 2008 में सीसीएफ (एन) को प्रस्तुत किया गया। आवेदन कालामचुइन गांव का कुल भूमि कार्यक्रम पुनः प्रस्तुत करने के लिए 30.01.09 को लौटा दिया गया। खनन योजना 28.08.2009 को अनुमोदित की गयी है। और इसे सीसीएफ (एन), भुवनेश्वर को प्रस्तुत किया गया। एनओसी जारी करने के लिए कलेक्टर, अंगूल को आवेदन किया गया है। सरकारी भूमिः सरकारी गैर वन भूमि (एलए अधिग्रहण क्षेत्र के भीतर) सीबी (एएंडडी) एक्ट के अंतर्गत आवेदन के लिए प्रक्रियाधीन है। काश्तकारी भूमिः ग्राम कालामचुइन के कास्तकारों को 74.61 करोड़ रू. का भुगतान मुआवजे के रूप में कर

															दिया गया है। 80% मुआवजे का वितरण कर दिए जाने के पश्चात भूमि सौपी जाएगी।
एमसी एल	43	लखनपुर विस्तार फेस-II (15)	ओ सी	5.00	116.54	सित-08	मार्च 11	मार्च 11	**एफ/ जी**	ओपीजीसी की आईबी टीपीएस	**3.06**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	ईएमपीः 15 एमटीवाई के लिए ईसी 12.5.08 से विद्यमान है। वन भूमिः 84.399 है. भूमि के लिए चरण 1 स्वीकृति 27.10.10 के ज्ञापन सं. एफ सं. 8-280/1989-एफसी (खण्ड-1) के माध्यम से प्राप्त कर ली गई है। वन जीव संरक्षण योजना - परामर्शदाता की नियुक्ति प्रगति पर है। डीएफओ से डिमाड नोटिस रायल्टी के भुगतान के लिए प्रतीक्षित है। सीएएमपीए खाता में एनपीवी का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। 95.40 है. (फेस 2) के डायवर्जन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस समय भूमि का कार्यक्रम परियोजना स्थल पर तैयार किया जा रहा है। सरकारी भूमि- समग्र भूमि सीबीए एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित की गई है। भूमि का कब्जा किस्तों में लिया जाएगा। काश्तकारी भूमिः सम्पूर्ण भूमि सीबीए अधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहीत की गयी। आर एण्ड आरः 1039 पीएएफ को पुनर्वासित किया जाना है। मुआवज का भुगतान किया जा रहा है। मूल्यांकन के अनुसार 50% से अधिक पीएएफ प्लाट के बदले

															मुआवजे का विकल्प चुन रहे हैं। गणेशनगर में 38.05 हे. का पुनर्स्थापन स्थल खैरकुनी के पीएएफ को पुनर्स्थापित करने के लिए तत्काल उपलब्ध है।
एमसी एल	44	अनंता विस्तार (15 मि.ट. प्रतिवर्ष)	ओ सी	3.00	207.28	अग-08	मार्च 12	मार्च 12	**ई/ एफ/ जी**		**0.82**	**5.50**	**5.50**	**5.50**	ईएमपी- टीओआर नवम्बर 08 में प्राप्त हुआ। प्रारूप इएमपी 2.3.10 को प्रस्तुत किया गया। पीएच प्रतीक्षित है। वन भूमि- 17.4.10 को 238.713 है. के लिए आवेदन किया गया और डीएफओ अंगूल को अग्रेषित किया गया। वृक्षों की गणना कर ली गइ है। चरण 1 के लिए अन्य औपचारिकताए पूरी की जा रही है। अन्य भूमि- 40.81 है.के लिए सीबीए (एएंडडी) एक्ट की धारा 4 (1) के अंतर्गत अधिसूचना 16.9.09 को जारी की गइ। सरकारी भूमि- धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचना के पश्चात अजित की जाएगी। काश्तकारी भूमि- धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना के पश्चात 344.89 है. काश्तकारी भूमि अर्जित की जाएगी। आर एंड आर- (2750 पीएपी) पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के पश्चात विचार किया जाएगा जो प्रगति पर है।
एमसी एल	45	हिंगुला विस्तार	ओ सी	7.00	479.53	नव-08	मार्च 13	मार्च 13	**ई/ एफ/ जी**		**0.83**	**1.50**	**1.55**	**2.00**	15 एमटीवाई के लिए टीओआर 11.7.08 को प्राप्त हुआ। प्रारूप ईएमपी तैयार किया गया और

		(15 मि.ट. प्रतिवर्ष)												10.9.09 को पीएच आयोजित की गई। अंतिम इएमपी तैयार किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण - सीबीए एक्ट की धारा 4(1) की अंतर्गत 1.2.10 को अधिसूचित की गई। धारा 7(1) के अंतर्गत अधिसूचना के लिए विस्तृत कार्यक्रम और योजनाएं तैयार की जा रही है। वन भूमि- 440.53 के लिए आवेदन तैयार है और कलेक्टर से एनओसी प्राप्त होने के पश्चात प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
एमसी एल	46	तालाबीरा	ओ सी	20.00	447.7 2	मार्च-08	मार्च 16	मार्च 16	ए- जी		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**ईएमपी-** 23.5.07 को टीओआर प्राप्त हुआ। प्रारूप ईएमपी प्रस्तुत कर दिया गया है। संभलपुर का पीएच 19.12.10 को आयोजित किया गया। झरसुगुदा की पीएच 8.12.10 की निर्धारित तारीख को आयोजित नहीं की जा सकती क्योंकि कुछ व्यक्तियों द्वारा एसपीसीवी एवं राज्य अधिकारियों को रोक दिया गया और वे स्थल तक नहीं पहुच सके। फेस 1 में 729.15 है. के लिए वन भूमि- चरण 1 की वन स्वीकृति का प्रस्ताव 22.1.09 को सीसीएफ (एन), भुवनेश्वर को प्रस्तुत किया गया किन्तु उसे 12 बिन्दुओं पर अनुपालन हेतु लौटा दिया गया। तहसीलदार, रेंगाली एवं झरसुगुदा द्वारा हस्ताक्षरित भूमि का कार्यक्रम खान

															उपनिदेशक उड़ीसा सरकार को अग्रेषित किया गया। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लोगों को मनाया जा रहा है। वन डायर्वजन का कार्य 14.11.10 को आउटसोर्स किया गया है। अन्य भूमि- 1196.85 है. गैर वन भूमि चरणों में अधिगृहीत की जा रही है। आर एंड आर- मै.एआरडीसीओएस (कृषि संसाधन विकास परामर्शी सोसाईटी) ने 1020 पीएएफ के बारे में सामाजिक आर्थिक अध्ययन पूरा कर लिया है। अध्ययन किया जा रहा है। तालाबीरा ब्लाक 2 की धारा 11(1) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना के पश्चात कार्य पूरा किया जाएगा। तालाबीरा ब्लाक 2 की अधिसूचना में विलंब होने से परियोजना के कार्यक्रम में विलंब हो सकता है।
एमसी एल	47	भरतपुर फेस-III	ओ सी	9.00	131.3 9	फर - 07	मार्च 10	मार्च 11	**ई एडं एफ**	सीपीपी/ बास्केट	**1.48**	**4.00**	**3.00**	**3.60**	**ईएमपी-** अक्टूबर 08 में ईसी प्राप्त किया गया। वन भूमि- 134.41 है. की चरण 1 की स्वीकृति (मूल परियोजना के लिए भूमि सहित) के लिए सीसीएफ (एन) भुवनेश्वर को अग्रेषित आवेदन अनुमोदित खनन योजना के लिए लौटा दिया गया था। एमओसी द्वारा खनन योजना अनुमोदित कर दी गई है और डीएफओ, अंगूल को मई 08 में प्रस्तुत कर दी गई है। डीएफओ के " स्थल

														दौरा रिपोर्ट" के अनुपालन हेतु सीएफ द्वारा आवेदन पुन लौटा दिया गया। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सहित आवेदन पीसीएफ उड़ीसा सरकार को अग्रेषित की गई थी। 14.11.09 को एसटी एवं ओटीएफडी एक्ट 2006 के अंतर्गत कलेक्टर से एनओसी प्राप्त करने के लिए आवेदन सीसीएफ (एन) को वापस भेज दिया गया। सरकारी भूमि- सीबीए एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना के लिए आवेदन किया गया। काश्तकारी भूमि- धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचना के पश्चात मुआवजा और शेष रोजगार के लिए विचार किया जाएगा। 90% रोजगार पहले ही दिया जा चुका है क्योंकि मूल गांव को पहले ही अर्जित कर लिया गया है। आर एंड आर- 6 गांव के 651 पीएएफ को पुनर्वासित किया जाना है। पदमावती पुर और राकस गांव को मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है। 598 पीएएफ को रोजगार तथा 10 पीएएफ को नकद मुआवजा दे दिया गया है। पुनस्थापन स्थल- पदमावती पुर और राकस गांव के पीएएफ के पुनस्थापन के लिए बावलपुर गांव में 73.38 एकड. सरकारी भूमि अवार्ड करने के लिए कलेक्टर को 4 करोड़ रू.

															प्रदान कर दिए गए है।
एमसी एल	48	कुल्दा	ओ सी	10.00	302.96	जन-05	मार्च 12	मार्च 12	**ई एंड एफ**	बास्केट	**3.43**	**5.00**	**5.00**	**9.00**	**ईएमपी-** 24.12.02 को ईसी प्राप्त की गई। वन भूमि- 20 वर्षों के लिए 227.89 है. की चरण 2 स्वीकृति 8.8.07 को प्राप्त की गई। आज की तारीख तक 64 है. भूमि पर कब्जा किया गया है। सरकारी एनएफ- समस्त भूमि पहले ही कब्जा कर लिया गया है। काश्तकारी भूमि- समस्त भूमि सीबीए एक्ट की धारा 11(1) के अंतर्गत कंपनी के पास है। वनकीबहल एवं बलिंगा गांव के लिए 175.48 है. भूमि हेतु मुआवजे का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। 324.68 है. भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। बलिंगा गांव के 136 व्यक्तियों तथा वनकीबहल गांव के 67 व्यक्तियों को रोजगार मुहैया करा गया है। आर एंड आर- 203 पीएएफ को रोजगार तथा 17 को नकद मुआवजा अनुमोदित किया गया है। 46 मामले अनुमोदन के प्रक्रियाधीन है। बारपाली में पुनस्थापन स्थल तैयार किया जा रहा है। 106 प्लाट विकसित कर लिए गए है और शेष प्रक्रियाधीन है। 66 प्लाट वनकीबहल के पीएएफ को आवंटित किए गए है।

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. (एससीसीएल) में 100 करोड़ रू. और उससे अधिक लागत वाली चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे (31.12.2010 के अनुसार स्थिति

क्र.सं.	परियोजना/ कम्पनी का नाम और परियोजना का स्थान	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	कुल पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रू. में)	कुल स्वीकृत लागत(करोड़ रू. में)	स्वीकृति की तारीख पूर्णता का कार्यक्रम पूर्ण होने का अनुमान	कोयले का ग्रेड लिंकेज	वास्तविक उत्पादन 2009-10(मि.ट.)	एफआर 2010-11 के अनुसार लक्ष्य (मि.ट.)	ब.अ./सं.अ 2010-11(मि.ट.)	दिसम्बर,10 तक वास्तविक (2010-11) (उत्पादन) (मि.ट.)	ब.अ. 2010-11 (करोड़ रू. में)	दिसम्बर, 10 तक व्यय (करोड़ रू. में) (अनंतिम)	
1.	आद्रियाला शाफ्ट, परियोजना, आरसीई, यूजी एससीसीएल	2.81	846.06	779.26	24.12.09 2012-13 2013-14	ई,डी,सी बास्केट लिंकेज	0.081	0.264	0.33	0.040	70.00	18.649	ड्राइवेजो में विलंब के कारण परियोजना में जुलाई 2013 (9 महीने का समय आधिक्य) तक विलंब होने की संभावना है। लांगवाल उपकरण की खरीद के लिए 18.12.2009 को आदेश दिया गया और जून 2012 तक मिल जाने की संभावना है। रिटर्न एयर शाफ्ट की सिंकिंग की प्रगति 468 मीटर में से 360.30 मीटर है।
2.	शांतिखानी लांगवाल परियोजना, यूजी एसीसीएल	1.167	306.39	249.03	09.10.06 2011-12 आर एफ आर	एफ,डी बास्केट लिंकेज	0.003	0.333	0.1	0.003	40.00	31428	भूगर्भीय हलचल के मद्देनजर संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट (आरएफआर) तैयार करने का निर्णय लिया गया है। आरएफआर तैयार किया जा रहा है। एयर सोफ्ट डुबाने की प्रगति 390 मीटर में से 154.80 मीटर है।

3.	जल्लाराम शाफ्ट यूजी परियोजना, एससीसीएल	2.285	512.87	467.780	14.09.07 2012-13 आर एफ आर	बी,डी,ई बास्केट लिंकेज	शून्य	0.49	शून्य	शून्य	10.00	11.424	भूगर्भीय हलचल के मद्देनजर संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट (आरएफआर) तैयार करने का निर्णय लिया गया है। आरएफआर तैयार किया जा रहा है।
4.	काकातिया लांगवाल यूजी परियोजना, एससीसीएल	2.747	620.03	453.63	15.12.08 2012-13 2014-15	बी,ई, एफ बास्केट लिंकेज	0.191	0.33	0.32	0.143	40.00	54.486	लांगवाल को टेक्नोलाजी प्रदाता एवं प्रचालक (टीपीओ) अवधारणा पर शामिल करने का निर्णय लिया गया। टीपीओ की नियुक्ति का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा जा रहा है। एयर सोफ्ट सिंकिंग की प्रगति 220 मी.में से 121.0 मी. है। परियोजना की पूर्णता की अनुमानित तारीख मार्च 2015 है और इसलिए संभावित समय आधिक्य 2 वर्ष 4 महीने है। परियोजना में विलंब टीपीओ के चयन के कारण है।
5	आरजी ओसी-II विस्तार परियोजना	4.00	896.32	418.97	30.12.09 2011-12 2011-12	डी,ई, एफ लागत जमा लिंकेज	3.561	3.50	3.20	2.251	85.00	71.595	परियोजना समय पर है।

6	आरकेपी ओसीपी फेस I	2.50	129.31	209.78	29.03.10 2014.-15 2014.-15	डी,ई बास्केट लिंकेज	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	15.1	परियोजना समय पर है।
7	मनूगुरू ओसी II विस्तार (फेस II)	3.00	218.01	181.19	29.03.10 2011-12 2011-12	सीडीई एवं एफ बास्केट लिंकेज	0.00	1.50	3.00	2.654	0.00	0.905	परियोजना समय पर है।
8	किस्ताराम ओसीपी	2.00	143.9	242.29	01.11.10 2014 -15 2014 -15	डी एंड एफ बास्केट लिंकेज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	परियोजना समय पर है।

प्रयुक्त संक्षेपण - यूजी - भूमिगत

अनुबंध

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) में 100 करोड़ रू. तथा उससे अधिक की लागत वाली नई/ चल रही परियोजनाओं की स्थिति

करोड़ रू. में

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	स्वीकृत लागत मूल/आरसीई	स्वीकृति का माह और वर्ष मूल/आरसीई	कोयले का ग्रेड लिंकेज	ब.अ. 10-11	मार्च, 2010 तक व्यय **	अप्रैल-दिसम्बर 10 तक व्यय **	ब.अ. 2011-12	31.12.2010 के अनुसार परियोजना की स्थिति
1	खान II विस्तार	4.5 एमटीपीए	2161.28 --------- 2295.93	अक्टूबर, 2004 ________ जुलाई 2008	लिग्नाइट: टीपीएस II विस्तार	224.11	1808.34	52.68	50.00	परियोजना 12.3.10 से आरंभ हो गई है। लबिंत भुगतान और कुछ जीडब्ल्यूसी एवं एसडब्ल्यूसी मदों की खरीद के लिए निधि की आवश्यकता है।
2	टीपीएस II विस्तार	2 x 250 मे.वा.	2030.78 ------------- 2453.57	अक्टूबर, 2004 ________ जुलाई, 08	विद्युत: खान II विस्तार	327.63	1948.27	115.37	250.37	भेल, मुख्य संयंत्र का प्रमुख ठेकेदार, द्वारा समय पर कार्य पूरा नहीं करने के कारण परियोजना में विलंब हो गया है। टीपीएस II विस्तार की यूनिट - I और II के मार्च 11 तथा अक्टूबर 11 से वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ हो जाने का अनुमान है। लगभग सभी आपूर्तिया कर दी गई है और निर्माण कार्यकलाप अग्रिम स्तर पर है।

3	राजस्थान में खान	2.1 एमटीपीए	254.07 ------------ 254.60	दिसम्बर 2004 __________ अगस्त 09	लिग्नाइट: राजस्थान में टीपीएस II	37.73	214.51	1.33	14.58	लिग्नाइट उत्पादन नवम्बर, 09 में आरंभ हो गया है तथा 31.01.2010 को पूरी क्षमता का स्तर प्राप्त कर लिया है। तथापि, उत्पादन की गति धीमी है क्योंकि संबद्ध यूनिट तैयार नहीं है।
4	राजस्थान में टीपीएस	2 x 125 मे.वा.	1114.18 1626.09	दिसम्बर, 2004 ________ अगस्त, 09	विद्युत : राजस्थान में खान	147.06	1407.82	118.02	60.50	यद्यपि दोनो यूनिटों को तुल्यकालिक किया गया है। वाणिज्यिक उत्पादन अभी आरंभ होना है और इन यूनिटों में दिसम्बर 2010 में वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने का अनुमान है।
5	तुती-कोरिन में टीपीएस	2 x 500 मे.वा.	4909.54	12.5.2008	विद्युत :	826.13	725.00	593.84	1115.00	सभी प्रमुख पैकजो के लिए आर्डर दे दिए गए है। आपूर्ति की जा रही है। यूनिट I और II के आरंभ होने की अनुमानित तारीख अप्रैल 12 एवं सित.12 है।

** आरंभ से